



वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की यही मौजा एक 11 जीजीएम के खाला संख्या 25/27 के प0न0 375/463(45) जीजीएम के खाला संख्या 14/16 के प0न0 376/464(6) किला न0 11/2 की 0.1260हैच प0न0 375/464(7) किला न0 4/1 की 0.228 , 5/1 की 0.2280 , 6/1 की 0.2150 , 7/0.2530 , 14/0.2530 , 15/1 की 0.2150 , प0न0 0 मू0न0 57/22 की 0.0380हैच मू0न0 रास्ता कुल 1.6440हैच में से 1/7 मू0न0 रास्ता प0न0 0 मू0न0 57/22 की 0.0380हैच मू0न0 रास्ता कुल 1.6440हैच में से 1/7 हिस्सा मू0न के कालिज खातेदार काइतकार है उक्त मू0न में 1/7 हिस्सा वादी के नाम से दर्ज है

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी / परेकार राज को लंब किया गया । परेकार न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद के समक्ष में जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजाल के आधार पर राज्य दफ्तर को स्पष्टित रखते हुए वादी का नाम रूकसल किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिलने किया जाकर उभयपक्षों को समाप्त किया गया ।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी / परेकार राज को लंब किया गया । परेकार न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद के समक्ष में जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजाल के आधार पर राज्य दफ्तर को स्पष्टित रखते हुए वादी का नाम रूकसल किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिलने किया जाकर उभयपक्षों को समाप्त किया गया ।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी / परेकार राज को लंब किया गया । परेकार न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद के समक्ष में जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजाल के आधार पर राज्य दफ्तर को स्पष्टित रखते हुए वादी का नाम रूकसल किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिलने किया जाकर उभयपक्षों को समाप्त किया गया ।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी / परेकार राज को लंब किया गया । परेकार न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद के समक्ष में जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजाल के आधार पर राज्य दफ्तर को स्पष्टित रखते हुए वादी का नाम रूकसल किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिलने किया जाकर उभयपक्षों को समाप्त किया गया ।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी / परेकार राज को लंब किया गया । परेकार न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद के समक्ष में जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजाल के आधार पर राज्य दफ्तर को स्पष्टित रखते हुए वादी का नाम रूकसल किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिलने किया जाकर उभयपक्षों को समाप्त किया गया ।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी / परेकार राज को लंब किया गया । परेकार न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद के समक्ष में जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजाल के आधार पर राज्य दफ्तर को स्पष्टित रखते हुए वादी का नाम रूकसल किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिलने किया जाकर उभयपक्षों को समाप्त किया गया ।

निर्णय दिनांक :- 05/02/2020

उपस्थित :- श्री भरतसिंह बैनीवाल अधिवक्ता वादी  
 काइतकारी अधिनियम 1955  
 दावा इस्तकारर हक अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान  
 प्रतिवादी

1. राजस्थान राज्य जारिय तहसीलदार राजस्व नोडर ।

वादी

बनाम

दर्जमानाद ।

1. अमरसिंह पुत्र राजराम जाति जाख निवासी हिलकी जाटान तहसील नोडर जिला

अनवान :-

वाद सं0 : 733 संन 2019

पीठाधीन अधिकारी का नाम : (2009004940)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपप्रवक्ताकारी (राजस्व) नोडर



**पर्वा डिक्री**

( आर्डर 20, कुल 6-7 जाळा दिवानी )  
**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर**

अल अगलत :- सुधी खेला कोवर ( आर.ए.एल )

अनवान :-

1. अमरसिंह पुत्र राजराम जाति जाअ निवासी डिक्री जाटान तहसील नोहर जिला

हनुमानगढ ।

वादी

बनाम

1 राजस्थान राज्य जसिये तहसीलदार राजस्व नोहर ।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 733 ख 2019 लिफ्ट डिक्री-05/03/2020

आज यह वाद मुझे खेला कोवर उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवरता

वादीयगण एवं पेशकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर

वाद वादी साक्ष्यों के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है यही

मौजा रोही मौजा चक 11 जीजीएम के खाला संख्या 25/27 के प0न0 375/463(45) किला न0

24/02530, 25/02530, कुल 0.506हैच में वादी का 1/7 हिस्सा व चक 12 जीजीएम के खाला

संख्या 14/16 के प0न0 376/464(6) किला न0 11/2 की 0.1260हैच प0न0 375/464(7)

किला न0 4/1 की 0.228, 5/1 की 0.2280, 6/1 की 0.2150, 7/0.2530, 14/0.2530

, 15/1 की 0.2150, प0न0 0 मु0न0 65/3 के किला न0 0/1 की 0.0510हैच नौ0 रास्ता प0न0

0 मु0न0 57/22 की 0.0380हैच नौ0 रास्ता कुल 1.6440हैच में से 1/7 हिस्सा में वादी का नाम

रामसिंह पुत्र राजराम दर्ज है के खान पर अमरसिंह उर्फ रामसिंह पुत्र राजराम संशोधित किया

जाता है इसी अनुसार राजस्व डिक्री में अंकन किया जावे। व्यय वाद उपयपक्ष अपना अपना वहन

करेंगे।

पर्वा डिक्री आज दिनांक 05/03/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कायानिय मुद्रा से जारी की

गई ।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )